

दिनांक- 04.08.2022 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा बेगूसराय में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की जिला समाहरणालय एवं शिविर संख्या- 2, पंचायत भवन, वीरपुर में की गई, समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक- 04.08.2022 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा बेगूसराय जिले के समाहरणालय तथा पंचायत भवन, वीरपुर में बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं श्री प्रवीण कुमार, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी शिविर प्रभारी एवं कानूनगो के साथ बेगूसराय जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत है:-

समीक्षा के क्रम में बेगूसराय जिले में विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति निम्नवत पाई गई:-

सर्वेक्षण के लिए चयनित कुल अंचलों की संख्या	कुल शिविर की संख्या	कुल मौजा की संख्या	निर्धारित त्रिसिमाना की संख्या	ग्राम-सीमा सत्यापन		किस्तवार पूर्ण मौजों की संख्या	खानापुड़ी पूर्ण मौजों की संख्या	प्रपत्र-6 में इंट्री मौजों की संख्या	एल0 पी0 एम0 वितरित मौजों की संख्या	प्रारूप प्रकाशित मौजों की संख्या	अंतिम प्रकाशित मौजों की संख्या
				कुल	ग्राम सीमा सत्यापन						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	18	440	1409	440	435	253	133	92	89	67	41

(i) **कार्यों की समीक्षा:-** शिविरों की सर्वेक्षण कार्यों के समीक्षा के क्रम में बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय ने बताया कि आई0आई0सी0 हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के पास सर्वेक्षण प्रक्रम के मानचित्र लंबित है, जो निम्नवत् है:-

सर्वेक्षण प्रक्रम का नाम	लंबित मानचित्रों की संख्या	अभ्युक्ति
ग्राम सीमा सत्यापन मानचित्र	108	
किस्तवार अद्यतन	70	
खानापुड़ी अद्यतन मानचित्र	21	
प्रारूप प्रकाशन मानचित्र	07	
प्रपत्र-14 में प्राप्त आपत्ति निपटारा किये गये मानचित्र	01	
अंतिम प्रकाशन हेतु	03	
<b>कुल</b>	<b>210</b>	

साथ ही बन्दोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि वैसे राजस्व ग्रामों में कुल खेसरो की संख्या 1000 से कम है। कार्य के प्राथमिकता के तौर पहले संपन्न किया जाय। इसके लिए 107 ग्रामों की सूची पत्र संख्या-831 दिनांक-28.07.2022 द्वारा हवाई सर्वेक्षण को दिया गया है। Map Module में भी एजेंसी द्वारा 20 से ज्यादा राजस्व ग्राम की तिथि इंट्री नहीं किया जा रहा है। साथ ही बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा राजस्व ग्राम के मानचित्र के साथ आबादी क्षेत्र का मानचित्र अलग स्केल नहीं दिया जा रहा है।

निदेशित किया जाता है कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी शीघ्र अद्यतन कर विभिन्न प्रक्रमों का मानचित्र बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय और संबंधित राजस्व ग्राम का मानचित्र के साथ-साथ आबादी क्षेत्र का अलग स्केल पर शिविर को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही Map Module में भी बन्दोबस्त कार्यालय से प्राप्त एवं हस्तगत कराने की तिथि अनिवार्य से इंट्री किया जाय।

(ii) शिविरों के कार्यों की समीक्षा:- वीरपुर अंचल के मौजा-एराजी पानापुर में कुल खेसरा की संख्या - 8 है और एल0पी0एम0 दिनांक- 29.06.2022 को वितरित किया गया। दावा/आपत्ति की संख्या 1 (एक) है, जिसका निपटारा पश्चात् भी प्रारूप प्रकाशन नहीं किया जा रहा है। गैप की अवधि 106 दिन है, शिविर प्रभारी ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन हेतु मानचित्र अद्यतन करने हेतु एजेंसी के पास लंबित है।

शाम्हो अकहा कुरहा अंचल के पथुआ राजस्व ग्राम के कुल खेसरा की संख्या- 3 है। एल0पी0एम0 दिनांक- 13.05.2022 को वितरित किया गया और आपत्ति की संख्या- 3 है, जिसका निपटारा कर दिया गया। वितरण की तिथि से 82 दिन हो गया है, इस पर शिविर प्रभारी ने बताया गया कि अद्यतन करने हेतु मानचित्र लंबित है। यदि एजेंसी से प्राप्त हो जाएगा, प्रारूप प्रकाशन कर दिया जाएगा। शीघ्र हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को निदेशित किया गया कि मानचित्र अद्यतन कर चार प्रति मानचित्र शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय। साथ ही सर्वेक्षण कोषांग को निदेशित किया जाता है कि आई0आई0सी0, हवाई सर्वेक्षण के भुगतान किये जाने वाले राशि विलंब के लिए कटौती के साथ प्रस्ताव दिया जाए।

(iii) डायरी का संधारण:- अंचल-मंसूरचक एवं शाम्हो अकहा कुरहा के शिविर का विशेष सर्वेक्षण अमीन का डायरी बिहार सर्वे ट्रेकर के माध्यम से प्रदर्शित कर समीक्षा की गई तब पाया गया कि अमीन द्वारा वंशावली गार्ड फाईल में चिपकाया गया या किस्तवार किया गया" दर्ज है। किस्तवार कितने खेत या खेसरा का किया गया। डायरी में अंकित नहीं किया गया। साथ ही वि0 सर्वे0 स0ब0प0 द्वारा भी डायरी संधारित किया गया, उसमें कार्य का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है और मनमाने तरीके से भरा जा रहा है। अमीन डायरी का शिविर प्रभारी द्वारा भी ठीक ढंग से पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है।

इस पर बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह डायरी कर समीक्षा कर सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का भुगतान किया जाय।

(iv) दावों/आपत्तियों की समीक्षा:- सभी शिविर प्रभारी एवं वि0 सर्वे0 कानूनगो को निदेशित किया गया कि प्राप्त दावा/आपत्ति का निपटारा अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत किया जाना है और शिविर में ही अन्तर्गत निपटारा किया जाना है। प्राप्त दावा/आपत्ति का निपटारा काफी विलंब से किया जा रहा है।

निदेशित किया जाता है कि प्रपत्र-8 या प्रपत्र-14 में प्राप्त दावा/आपत्ति का निपटारा ससमय निपटारा किया जाय। अनावश्यक लंबी अवधि देकर विलंब नहीं किया जाय।

निदेशित किया जाता है कि प्रपत्र-8 या प्रपत्र-14 में प्राप्त दावा/आपत्ति का निपटारा ससमय निपटारा किया जाय। अनावश्यक लंबी अवधि देकर विलंब नहीं किया जाय।

### अंचल-बीरपुर, शिविर संख्या-02, पंचायत भवन, भवानन्दपुर

अंचल-वीरपुर के शिविर संख्या-2 में 18 राजस्व ग्राम है। सभी राजस्व ग्राम का त्रिसिमाना का निर्धारण एवं ग्राम-सीमा सत्यापन कर लिया गया है। 08 राजस्व ग्राम का मानचित्र त्रिसिमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन पश्चात् अद्यतन हेतु एजेंसी के पास माह-मई से लंबित है। राजस्व ग्राम-पानापुर, थाना संख्या- 438 का याददाश्त पंजी एवं खेसरा पंजी का अवलोकन किया गया। शिविर प्रभारी ने बताया कि 06 प्रारूप प्रकाशित राजस्व ग्रामों का याददाश्त पंजी स्कैन कर भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है।

याददाश्त पंजी में अभिधारी के कॉलम 'अंश' दर्शाया गया है। शिविर प्रभारी ने बताया कि निदेशालय से निदेश प्राप्त होने के बाद याददाश्त पंजी में 'अंश' दर्शाया नहीं जा रहा है। साथ ही खेसरा पंजी के अभिधारी कॉलम- 2 में अंश नहीं लिखा जा रहा है। साथ ही याददाश्त पंजी के अवलोकन में निम्न त्रुटि पाया गया:-

- (1) जाति का उल्लेख नहीं था।
- (2) आदेश की विवरणी में पूर्व विक्रेता या पूर्व रैयत से वर्तमान रैयत में सम्बन्ध का उल्लेख नहीं था।
- (3) आदेश की विवरणी में भूमि का विवरण नहीं था।
- (4) किस्म भूमि बकाश्त में भूतपूर्व मध्वर्ती के नाम से लगान निर्धारण किया गया और स्वयं या उनके वंशज द्वारा बकाश्त भूमि बिक्री किया गया तब वैसी स्थिति वंशावली में भी याददाश्त पंजी सभी कॉलम में उल्लेख नहीं था।

बैठक में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन किया गया है, उनमें 39 राजस्व ग्राम ऐसे हैं जिनमें कुल खेसरा की संख्या 100 से कम है। समीक्षा में पाया गया कि ऐसे राजस्व ग्रामों में किस्तवार, खानापुड़ी एवं सुनवाई की प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से विलंब किए जाने के कारण अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन में विलंब हुआ है। निदेशित किया गया कि इन राजस्व ग्रामों में जिन कर्मियों द्वारा कार्य किया गया है, उनसे कारण पृच्छा की जाए।

उपरोक्त त्रुटि के संबंध में निदेशित किया गया कि याददाश्त पंजी के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरा जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0- 10/2022.....<sup>2049</sup>.....पटना, दिनांक: <sup>22/8/2022</sup>.....

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय/अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, बेगूसराय/भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेगूसराय/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय/ सभी शिविर प्रभारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक: <sup>22/8/2022</sup>.....

ज्ञापांक: 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0- 10/2022.....<sup>2049</sup>.....पटना, दिनांक: <sup>22/8/2022</sup>.....

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण/श्री पंकज कुमार, स0ब0प0-सह-नोडल पदाधिकारी, बेगूसराय/प्रशाखा पदाधिकारी भू-अभिलेख एवं परिमाण/श्री विजय साम्राज्य, सहायक, बी0पी0एम0यू0, भू-अभिलेख एवं परिमाण/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण/प्रभारी, आई0टी0 सेल, बिहार, भू-अभिलेख एवं परिमाण पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0- 10/2022.....<sup>2049</sup>.....पटना, दिनांक: <sup>22/8/2022</sup>.....

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0- 10/2022.....<sup>2049</sup>.....पटना, दिनांक: <sup>22/8/2022</sup>.....

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण